भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 813
23 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

उत्तर प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर

813. **श्री देवेश शाक्यः**
श्री लालजी वर्माः
श्रीमती रुचि वीराः
श्री नीरज मौर्यः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या उत्तर प्रदेश विशेषकर एटा और कासगंज में अनेक अनुमोदित कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर केवल शीतागार इकाइयों के रूप में कार्य करने तक ही सीमित हैं और तकनीकी विशेषज्ञों के अभाव में उनमें प्रसंस्करण कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्रों, एटा और कासगंज सहित उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण शीत श्रृंखला का प्रचालन महंगा हो गया है जिसके कारण छोटे किसानों को अपनी उपज का उचित और सुरक्षित भंडारण करने के बजाय औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एटा और कासगंज सहित उत्तर प्रदेश में स्थानीय उद्यमियों को कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर 6520 करोड़ के आवंटन के बावजूद बैंक ऋण प्राप्त करने में भारी नौकरशाही बाधाओं और जटिल कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कृषि समूहों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वास्तविक रूप से सृजित किया गया है लेकिन वर्तमान में किसी किसान समूह या स्टार्टअप के पास कार्य नहीं कर रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना कृषि प्रसंस्करण कलस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी) योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु शीत भंडारण, ब्लास्ट फ्रीजर, विशेष पैकेजिंग, आईक्यूएफ, वेयरहाउसिंग आदि जैसी कतिपय पूंजी-गहन सुविधाओं के साथ आधुनिक अवसंरचना का विकास करना है। एपीसी मांग पर आधारित न कि राज्य/ज़िला विशिष्ट योजना है। इसके अलावा, एपीसी योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन शीत भंडारण स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब तक, उत्तर प्रदेश राज्य के एटा और कासगंज ज़िलों में एपीसी योजना के अंतर्गत कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है। हालाँकि, मंत्रालय ने इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में दो कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर को मंजूरी दी है, जो पूरे हो चुके हैं। इन दोनों परियोजनाओं का विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23 जुलाई, 2026 को "उत्तर प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर" के संबंध में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 813 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्रम सं.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम (पीईए)	जिला	स्वीकृति की तारीख	परियोजना लागत (करोड़ में)	अनुदान/सब्सिडी स्वीकृत (करोड़ में)	कुल अनुदान/ सब्सिडी जारी (करोड़ में)	प्रमुख मूल प्रसंस्करण सुविधाएं
1	मेसर्स गोविंद ग्रीन फूड्स इंफ्राटेक	कानपुर देहात	06.04.2018	34.31	9.02	7.114	मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैंबर, ड्राई वेयरहाउस, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग लाइन
2	मेसर्स सीआरडी फूड्स	मथुरा मेसर्स सी आरडी फूड्स	07.12.2018	21.05	10.00	9.729	शीत भंडारण, फ्रोजन चैंबर, गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला.